न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण आर.ए.एस

प्रकरण संख्या– टि.ए. 29 सन 2020
पंजीयन दिनांक– 16.09.2020

(1) श्री पंकज शर्मा लोकेशन हेड, हिन्दुस्थान जिंक लिमिटेड पुठोली, चन्देरिया जिला चित्तौड़गढ़(राज.)
(2) श्री ऋषीराज शेखावत, महाप्रबंधक प्रशासन एवं सी.एस.ओ. जरिये हिन्दुस्थान जिंक लिमिटेड पुठोली, चन्देरिया जिला चित्तौड़गढ़(राज.)
(3) श्री सुनील कुमार सांबला इंचार्ज, घोसुण्डा बांधक जरिये हिन्दुस्थान जिंक लिमिटेड पुठोली, चन्देरिया जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

–अपीलांट

बनाम

(1) श्री शमशुदीन पिता अब्दुल मजीद मुसलमान निवासी सागवाडिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
(2) श्री रफीक मोहम्मद पिता अब्दुल मजीद मुसलमान निवासी सागवाडिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
(3) श्री मोहम्मद युसुफ पिता अब्दुल मजीद मुसलमान निवासी सागवाडिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
(4) श्री मोहम्मद शकील पिता अब्दुल मजीद मुसलमान निवासी सागवाडिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
(5) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज.।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी भदेसर
प्रकरण संख्या 55/2020 निर्णय दिनांक 22.07.2020

उपस्थित वक्त बहस–(1) श्री सम्पत कुमार जणवा–अधिवक्ता अपीलांट
(2) श्री चन्दनमल जणवा–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–2
(3) श्री रेस्पोडेन्ट सख्या 1,3,4– अनुपस्थित
(4) श्री पूरणमल स्वर्णकार– राजकीय अधि. रेस्पो.संख्या–5

–: निर्णय :– **दिनांक 20.07.2021**

प्रकरण में तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर में इस आशय का प्रस्तुत किया

कि प्रार्थीगण/ रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक आराजियात ग्राम सागवाडिया पटवार हल्का कंथारिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ में नये खाता संख्या 02 में अंकित आराजी नम्बर 243 रकबा 0.88 हैक्टैयर, आराजी नम्बर 244 रकबा 0.12 हैक्टैयर, आराजी नम्बर 245 रकबा 0.03 हैक्टैयर, आराजी नम्बर 248 रकबा 0.44 हैक्टैयर, आराजी नम्बर 249 रकबा 0.20 हैक्टैयर, आराजी नम्बर 250 रकबा 0.03 हैक्टैयर, आराजी नम्बर 251 रकबा 0.31 हैक्टैयर, आराजी नम्बर 252 रकबा 0.85 हैक्टैयर, कुल किता 08 कुल रकबा 2.86 हैक्टैयर अवस्थित है। उक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा निहित होकर अपने–अपने हिस्से में काबिज होकर काश्त कर रहे है, परन्तु उक्त वर्णित आराजियात से अप्रार्थीगण/अपीलांटगण का कोई सरोकार नहीं होते हुए भी अप्रार्थीगण/अपीलांट जो कि हिन्दुस्थान जिंक पुठोली चन्देरिया के प्रतिनिधी होकर घोसुण्डा बांध के रख रखाव हेतु अधीकृत है जो प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की आराजियात का मुआवजा दिये बिना ही या भूमि खरीद किये बिना ही प्रार्थीगण की भूमि में पानी भरने पर आमादा हो रहे है, इसलिए अप्रार्थीगण/अपीलांटगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि जब तक विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण की कृषि आराजियात को विधीवत तरीके से खरीद नहीं लेवे तब तक वह प्रार्थीगण की आराजियात में बांध का पानी नहीं आने देवे एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे ना अपने नोकर एजेन्ट आदि के जरिये करावें।

उक्त प्रार्थना पत्र के संबधं में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.07.2020 को निर्णय पारित करते हुए अप्रार्थीगण /अपीलांटगण को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करते हुए आदेशित किया कि ग्राम सागवाडिया पटवार हल्का कंथारिया की खाता संख्या 02 की आराजी नम्बर 243, 244, 245, 248, 249, 250, 251, 252, कुत किता–8 कुल रकबा 2.86 हैक्टैयर भूमि जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है, उक्त आराजियात में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करे न किसी अन्य से करावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 22.07.2020 से रूष्ठ होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में अंदर मियांद प्रस्तुत की ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किए गए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड तलब किया गया।अधीवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई एवं अधीवक्ता अपीलांट की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

अधीवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधीक प्रावधानो के प्रतिकूल बताते हुए अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अधीवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधी सम्मत बताते हुए अपील अपीलांट खारिज किये जाने की प्रार्थना की व लिखित रूप में यह आपत्ति की, कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22.07.2020 को अंतरिम आदेश पारित किया है जो इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है व अपनी ओर से यह आपत्ति भी की है, अपील पोषणीयता के बिन्दु पर निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष कें अधीवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट की ओर से वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है एवं वादपत्र के साथ प्रार्थनापत्र धारा 212 प्रस्तुत किया है। अपीलांट/विपक्षीगण ने विचारण न्यायालय में दिनांक 26.08.2020 को जवाब प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इन्ही आराजियात के संबंध में रेस्पोडेन्ट की ओर से भिन्न–भिन्न न्यायालयों में विचाराधीन रहे है, जिनको आपसी राजीनामे से समझौता होकर विड्रो किया गया है। इसी आराजियात के संबंध में पूर्व के वादपत्रों में समझौता होकर दोनो पक्षो के मध्य समझौतानामा निष्पादित हुआ है। उस समझौते से हटकर रेस्पोडेन्ट वादीगण नया वादपत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं रखते है। यदि अपीलांट समझौते से मुकरते है तो उन्हे समझौते की पालना करवाने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। फिर भी रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण ने इन्हीं तथ्यों को लेकर नया वादपत्र प्रस्तुत कर दिया व विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी जाकर एकतरफा में अपीलांट के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की, जिसमें आगामी तारीख पेशी 26.08.2020 नियत की एवं नियत दिनांक 26.08.2020 को ही अपीलांट की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र व विशेष कथन मय दस्तावेज प्रस्तुत किये, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को नियत दिनांक 26.08.2020 को ही उभयपक्ष को सुनकर पत्रावली पर अपना अंतिम निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित था। फिर भी विचारण न्यायालय में उक्त पत्रावली में आगामी तारीख पेशी नियत की जाकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरंतर बढ़ाई जा रही है, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर के प्रकरण सख्या 55/2020 आदेश दिनांक 22.07.2020 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, विशेष कथन जो अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय में मय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पत्रावली का एक माह मे अंतिम निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़